शिकायतों को दूर करने की प्रणाली

1491. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शिकायतों को निपटाने की पद्धति को और अधिक प्रभावी बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों ने और उनके प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अधीन आने वाले अन्य मुख्य संगठनों ने शिकायत निवारण एकक गठित किए हैं जिनका प्रमुख संयुक्त सचिव/निदेशक/उप-सचिव के पद का अधिकारी होता है और उसे शिकायत निदेशक के रूप में पदनामित किया जाता है । वह समचे संगठन में किए जा रहे शिकायत निवारण कार्य का पर्यवेक्षण करता है जब कि प्रत्येक अधिकारी को शिकायतों के निपटान हेतु प्रभावी तथा तत्काल कदम उठाने होते हैं, शिकायत निदेशक को शिकायत निवारण कार्य का समन्वय करना होता है । इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सचिवालय के मंत्रालयों और विभागों में बुधवार को बैठक विहीन दिवस रखा जाता है जब उप-सचिव तथा उससे ऊपर के स्तर के सभी अधिकारी लोगों तथा संस्थानों की शिकायतें को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध रहते हैं ।

इस तंत्र के अतिरिक्त, मंत्रिमंडल सचिवालय के अन्तर्गत लोक शिकायत निदेशालय है जिसका प्रमुख भारत सरकार के सचिव के स्तर का अधिकारी है । विभिन्न नामित मंत्रालयों/विभागों से संबंधित शिकायत उन्हें भेजी जाती हैं । यदि शिकायत का विषय महत्वपूर्ण हो तो निदेशक संबंधित संगठन की प्रासंगिक फाइलें/कागजात मंगवा सकता है, दोनों पक्षों की सुनवाई कर सकता है तथा शिकायत निवारण के लिए की जाने वाली कार्रवाई की अनुशंसा कर सकता है । आम तौर पर उनकी अनुशंसा को स्वीकार किया जाता है तथा उसे कार्यान्वित किया जाता है ।

मामलों को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने संबंधी मानदंड

1492. **श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मामलों को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने के लिए सरकार ने कौन से मानदण्ड निर्धारित किये हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन मामलों को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा गया है उनमें जनहित के मामलों के मुकाबले निजी मामलों की सख्या ज्यादा है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार इस पर विचार कर रही है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सिर्फ जनहित के मामले ही सौंपे जायें ;

(ङ) यदि हां, तो इसके संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) 'जनहित" ही एक मात्र ऐसा मानदण्ड

है जिसके आधार पर सरकार मामले केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजती है। तथापि नीचे दी गई श्रेणियों के मामले सामान्यतः जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यरो को सौंपे जाते हैं।

(i) विश्वासघात, जालसाजी, धोखाधड़ी, आपराधपूर्ण विश्वासघात, झूठे रिकार्ड इत्यादि के अपराध वाले मामले।

(ii) लोक सेवकों द्वारा आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक अनुपात में परिसंपत्तियां रखना।

(iii) अन्तर्राज्यीय / अन्तर्राष्ट्रीय जांच वाले मामले अथवा गैर-सरकारी रिकार्डों, लेखा-पुस्तकों इत्यादि की जांच से संबंधित पेचीदा मामले।

(iv) अन्य पेचीदा मामले जिनमें पुलिस विशेषज्ञों द्वारा जांच कराई जानी अपेक्षित है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो को वैधानिक दर्जा

1493. **श्री राम सिंह राठवा :**
श्री ईश दत्त यादव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो को वैधानिक दर्जा प्राप्त न होने की वजह से जांच करने में अनेक कठिनाइयां पेश आ रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो को वैधानिक दर्जा देने के लिए अब तक क्या प्रयास किये गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) से (ग) संविधान की 7वीं अनुसूची (राज्य सूची की सूची–II–की प्रविष्टि संख्या 1 तथा 2) के अनुसार सार्वजनिक व्यवस्था तथा पुलिस राज्य से संबंधित विषय हैं। इस विषय से संबंधित वर्तमान कार्य-व्यवस्था के अनुसार किसी राज्य में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जाने वाली कोई भी जांच राज्य सरकार की विशेष सम्मति से ही की जा सकती है। जब तक विभिन्न राज्य सरकारें केन्द्रीय जांच ब्यूरो को जांच करने की आम सम्मति देने के लिए तैयार नहीं हो जाती तब तक केन्द्रीय जांच ब्यूरो को मात्र वैधानिक दर्जा देने से मौजूदा कठिनाइयां दूर नहीं होंगी।

Special casual leave to employees, attending office on a rally day

1494. SHRI SYED SIBTEY RAZI: Will the PRIME MINITER be pleased to state:

Special casual leave to employees,

(a) whether Special Casual Leave was granted to Government employees of Delhi who did not attend offices on 25-2-93 due to a rally organised by Bhartiya Janta Party at Boat Club;

(b) if so, the details of relevant instructions;

(c) whether beneficiaries of Special Casual leave include Government employees who have been allotted Government Accommodation within 6 kilometres of their offices and also given Motor Cycle/Car advance;

(d) if so, the details thereof;

(e) whether no Special Casual leave or any monetary benefit has been provided to Government employees who attended their offices on 25.2.93 after covering 20 to 25 kilometres distance on foot;

(f) whether such partial decesion of Government will make employees as in part (e) above not to attend their offices in future in similar circumstances;